प्रवेश के समय देना होगा शपथ पत्र

- एससी विद्यार्थियों को होगा अनिवार्य
- शुल्क प्रतिपूर्ति मिली तो संस्था को करना होगा भुगतान

जासं, लखनऊ : समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाता है। विभाग फीस का पूरा पैसा कॉलेज के बजाय सीधे विद्यार्थियों के खाते में भेजेगा। ऐसे में शुल्क प्रतिपूर्ति मिलने पर भुगतान विद्यार्थी कॉलेज को करेंगे, इसके लिए उन्हें शपथ पत्र देना होगा।

समाज कल्याण विभाग की ओर से नए संशोधन में इसका प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को अभिभावक की आय सही बताने और योग्यता का भी शपथ पत्र देना होगा कि उसने जो भी जानकारी दी है, वह सही है। निजी व सरकारी संस्थाओं में प्रवेश के समय शपथ पत्र की अनिवार्यता को लेकर विद्यार्थियों में असमंजस था कि उन्हें शपथ पत्र देना है या नहीं। समाज कल्याण विभाग ने इस संशय को दूर कर दिया है।

मैनेजमेंट कोटे की रार : संशोधित नियमावली अब निजी संस्थाओं के गले की फांस बन गई है। एक ओर जहां प्राविधिक विवि के सुविधाओं को बहाल करने का दबाव तो दूसरी ओर समाज कल्याण विभाग का मैनेजमेंट कोटे से मात्र 15 फीसद प्रवेश की वैधता उनके लिए कोढ़ में खाज बन गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी केएस मिश्र का कहना है कि जीरो फीस के बहाने सीधे प्रवेश लेने वाली निजी इंजीनियरिंग और प्रबंधकीय कॉलेजों की मनमानी पर विराम लगाने के लिए यह नई व्यवस्था कड़ाई से लागू की गई है।

डिजिटल हस्ताक्षर की अनिवार्यता

राजधानी की 730 संस्थाओं को नई नियमावली के तहत संस्थाओं के प्रबंधक-प्रधानाचार्य के अलावा नोडल अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करने होगा। 15 जुलाई तक ऐसा न करने वाली संस्थाओं के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रखा जाएगा।